

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
दल्लभ भवन, भोपाल-462004

EN

क्रमांक एफ 73-14 / 2013 / 20-3

भोपाल, दिनांक

प्रति,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल,
प्रीत विहार, नई दिल्ली।

विषय :- अशारकीय शिक्षण संस्था श्री शंकर स्कूल, शास. महाविद्यालय के पीछे, ग्राम-
पलासिया, महेश्वर रोड, धामनोद, तह - धरमपुरी, जिला- धार, म० प्र० को सी.बी.एस.ई.
नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के संबंध में

-----0000-----

राज्य शासन द्वारा विषयांकित संस्था द्वारा आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र के
आधार पर संस्था को सी.बी.एस.ई. से सम्बद्धता हेतु यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित
शर्तों पर दिया जाता है :-

- (1) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता मिलने के उपरांत भी
संस्था / समिति द्वारा म.प्र. शासन एवं लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा
समय-समय पर शिक्षा के प्रबंध एवं विकास के संबंध में जारी निर्देशों का
पालन किया जायेगा।
- (2) संस्था की प्रबंध कारिणी समिति में जिला शिक्षा अधिकारी, धार (म० प्र०) अथवा
उनका एक प्रतिनिधि कार्यकारिणी में सम्मिलित करना होगा।
- (3) शिक्षण संस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार
क्रियाशील अग्नि शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था होगी तथा इस
संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्था के संबंध में समय-समय पर
जारी किए जाने वाले निर्देशों का पालन संस्था को करना होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.के.तनवानी)
अवर सचिव



SECRETARY
SHREE SHANKAR SOCIETY FOR
EDUCATION AND WELFARE
DHAMNOD (DHAR) M.P

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

.....2